आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 17/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कर्नाटका बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय– पोस्ट बॉक्स नं. 599, महावीरा सर्किल, कन्कंदी, मैंगलुरू।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स सेवन सीज इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर्स श्री सचिन अग्रवाल एवं श्रीमती समता अग्रवाल, पताः– खसरा संख्या 557/1, ग्राम खोरा श्यामदास, ब्राइट मून स्कूल के सामने, राजावास, सीकर रोड, जयपुर।
2. श्री सचिन अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजमोहन अग्रवाल,
3. श्रीमती समता अग्रवाल पत्नी श्री नितिन अग्रवाल,
4. श्री नितिन अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल,

पता :– 230, ग्रीन त्रिवेणी, फेज–2, हरमाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

(मुहर: जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.))

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 24.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सचिन अग्रवाल एवं नितिन अग्रवाल के स्वामित्त्व की औद्योगिक संपत्ति खसरा संख्या 557/1, ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 2163.41 वर्गमीटर एवं श्री सचिन अग्रवाल के स्वामित्त्व की संपत्ति (1) प्लॉट नं. 230, आवासीय स्कीम ग्रीन त्रिवेणी फेज–2, ग्राम नीन्दड़, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 159 वर्गगज, (2) फ्लेट नं. एफ–2, प्रथम तल, एसएस अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 113–114, श्री श्याम वाटिका, ग्राम सिंवार, सिरसी रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 950 वर्गफीट एवं (3) एफ–3, प्रथम तल, एसएस टॉवर, हाऊस नं. 947–956, धमानी मार्केट की गली, चौड़ा रास्ता, चौकडी मोदीखाना, जयपुर, क्षेत्रफल 212.80 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 05.10.2016 को राशि 01,50,00,000/– रूपये, दिनांक 08.01.2019 को राशि 01,35,00,000/– रूपये, दिनांक 26.08.2019 को राशि 65,00,000/– रूपये, दिनांक 18.06.2020 को राशि 01,00,00,000/– रूपये, दिनांक 04.03.2021 को राशि 02,00,00,000/– रूपये एवं राशि 21,00,000/– रूपये, कुल राशि 06,71,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 06,71,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 06,88,33,288.84/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था का बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक संपत्तियों श्री सचिन अग्रवाल एवं नितिन अग्रवाल के स्वामित्व की औद्योगिक संपत्ति खसरा संख्या 557/1, ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 2183.41 वर्गमीटर एवं श्री सचिन अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति (1) प्लॉट नं. 230, आवासीय स्कीम ग्रीन त्रिवेणी फेज–2, ग्राम नीन्दड़, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 159 वर्गगज, (2) फ्लेट नं. एफ–2, प्रथम तल, एसएस अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 113–114, श्री श्याम वाटिका, ग्राम सिंवार, सिरसी रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 950 वर्गफीट एवं (3) एफ–3, प्रथम तल, एसएस टॉवर, हाऊस नं. 947–956, धमानी मार्केट की गली, चौड़ा रास्ता, चौकड़ी मोदीखाना, जयपुर, क्षेत्रफल 212.80 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 24.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

मजिस्ट्रेट (कलेक्टर)
जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलेक्टर) जयपुर